



भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

विसिविवि. कै.का. एफआईडी. सं: एस-1456/12.01.113/2024-25
FIDD.CO.FID. No. S-1456 / 12.01.113/2024-25

12 दिसम्बर 2024
December 12, 2024

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुसूचित घरेलू वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित); लघु वित्त बैंक; भुगतान बैंक; प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (टियर III और IV) सभी राज्य सहकारी बैंक और ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंक	The Chairman/Managing Director/Chief Executive Officer All Domestic Scheduled Commercial Banks (Including Regional Rural Banks) Small Finance Banks, Payments Banks Primary (Urban) Co-operative Banks [Tier III and IV] All State Co-operative Banks and District Central Co-operative Banks
--	---

महोदया/महोदय,

Madam/ Dear Sir,

वित्तीय समावेशन की प्रगति की निगरानी (एमपीएफआई) रिटर्न के संबंध में	Monitoring Progress of Financial Inclusion (MPFI) Return Reg.
जैसा कि आप जानते हैं, बैंकों को वित्तीय समावेशन से संबंधित डेटा वित्तीय समावेशन योजना [एफआईपी] और वित्तीय समावेशन की प्रगति की निगरानी [एमपीएफआई] रिटर्न के रूप में मासिक और तिमाही अंतराल पर क्रमशः दिनांक 17 मार्च 2016 के अशा.विसिविवि.कै.का.एफआईडी. 12.01.011/2015-16 और दिनांक 20 फरवरी 2020 के अशा.विसिविवि.कै.का.एफआईडी.सं.1742/12.01.025/2019-20 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करना	As you are aware, banks are required to submit data related to financial inclusion to the Reserve Bank in the form of Financial Inclusion Plan [FIP] and Monitoring Progress of Financial Inclusion [MPFI] returns at monthly and quarterly intervals, respectively, in terms of DO.FIDD.CO.FID. 12.01.011/2015-16 dated March 17, 2016 and DO.FIDD.CO.FID.No. 1742/12.01.025 /2019-20 dated February 20, 2020, respectively. At present the instructions on FIP are applicable to

वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, 10 वीं मंजिल, केन्द्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगतसिंह मार्ग, पोस्ट बॉक्स सं. 10014, मुंबई -400001
Financial Inclusion & Development Dept., Central Office, 10th Floor, Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Marg, P.B.No.10014, Mumbai-400001

टेली Tel:022-22610261 ई -मेल : cgmincfidd@rbi.org.in / fidrbico@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए।

"चेतावनी: मेल रिज़र्व बैंक द्वारा-डाक, एसएमएस या फोन कॉल के जरिए किसी की श्री व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक के खाते का ब्यौरा, पासवर्ड आदि नहीं मांगी जाती है। यह धन रखने या देने का प्रस्ताव श्री नहीं करता है। ऐसे प्रस्तावों का किसी श्री तरीके से जवाब मत दीजिए।"

Caution: RBI never sends mails, SMSs or makes calls asking for personal information like bank account details, passwords, etc. It never keeps or offers funds to anyone. Please do not respond in any manner to such offers.



आवश्यक है। वर्तमान में एफआईपी पर अनुदेश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), निजी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) पर लागू हैं और एमपीएफआई से संबंधित अनुदेश पीएसबी, निजी क्षेत्र के बैंकों [विदेशी बैंकों की पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) सहित], आरआरबी और एसएफबी पर लागू हैं।	Public Sector Banks (PSBs), Private Sector Banks (PvtSBs) and Regional Rural Banks (RRBs) and that related to MPFI are applicable to PSBs, PvtSBs [including Wholly Owned Subsidiary (WOS) of Foreign Banks], RRBs and SFBs.
2. मौजूदा रिपोर्टिंग व्यवस्था की समीक्षा और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में विकास और इसके परिणामस्वरूप उभरती आवश्यकताओं और बैंकिंग प्रणाली में वित्तीय समावेशन के डेटा एकत्र करने की आवश्यकता पर विचार करते हुए, मौजूदा रिपोर्टिंग प्रणाली में निम्नलिखित परिवर्तन किए जा रहे हैं: i. एमपीएफआई रिटर्न अब से सभी बैंकों, साथ ही साथ भुगतान बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों [टियर III] और टियर IV] और ग्रामीण सहकारी बैंकों [राज्य सहकारी बैंकों और ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों] पर लागू होगा। ii. रिटर्न संशोधित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा [डेटा परिभाषाओं के साथ अद्यतन टेम्पलेट। और II संलग्न है।] iii. अब से रिटर्न केवल सीआईएमएस पोर्टल पर ही प्रस्तुत किया जाएगा। iv. एमपीएफआई प्रस्तुत करने की समय-सीमा संबंधित तिमाही के अंत से एक माह के भीतर होगी। v. वर्तमान में पीएसबी, निजी क्षेत्र के बैंक और आरआरबी द्वारा प्रस्तुत एफआईपी रिटर्न को वित्त वर्ष 2025-2026 से बंद कर दिया जाएगा।	2. On a review of the existing reporting arrangements and considering the developments in the financial inclusion space, consequent evolving requirements and the need to capture financial inclusion data banking system-wide, the following changes are being effected in the existing reporting system: i. The MPFI return shall henceforth be applicable to all the banks including Payments Banks, Primary (Urban) Cooperative Banks [Tier III and Tier IV] and Rural Cooperative Banks [State Cooperative Banks and District Central Cooperative Banks]. ii. The return shall be submitted in revised formats [updated Template I and II enclosed along with data definitions]. iii. Submission of the return shall henceforth be on the CIMS portal only. iv. The timeline for submission of the MPFI shall be within one month from the end of the respective quarter. v. The FIP return submitted currently by PSBs, PvSBs and RRBs will be discontinued from FY 2025-2026.
3. तदनुसार, बैंकों को सूचित किया जाता है कि: क) दिसंबर 2024 तिमाही से एमपीएफआई क्वांटिटेटिव रिटर्न [संशोधित प्रारूप में टेम्पलेट- I (तिमाही)] जमा	3. Accordingly, banks are advised to: a) submit MPFI Quantitative Return [Template-I (quarterly) in the revised



<p>करें (दिसंबर 2024 तिमाही के रिटर्न दिनांक 31 जनवरी 2025 तक जमा किया जाना है)।</p> <p>ख) मार्च 2025 से एमपीएफआई क्वालिटेटिव रिटर्न [संशोधित प्रारूप में टेम्पलेट-II (वार्षिक)] जमा करें (मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, रिटर्न 30 अप्रैल, 2025 तक जमा किया जाना है); और</p> <p>ग) अप्रैल 2025 से एफआईपी रिटर्न (मासिक) प्रस्तुत करना बंद कर दें।</p>	<p>format] beginning December 2024 quarter (return for December 2024 quarter to be submitted by January 31, 2025).</p> <p>b) submit MPFI Qualitative Return [Template-II (annual) in the revised format] beginning March 2025 (return for FY ending March 2025 to be submitted by April 30, 2025); and</p> <p>c) discontinue submission of FIP return (monthly) from April 2025.</p>
4. संशोधित रिटर्न का विवरण तथा डेटा परिभाषा आरबीआई की वेबसाइट पर विनियामक रिपोर्टिंग टैब के अंतर्गत भी उपलब्ध होगा।	4. Details of the revised return along with data definition would also be available on the RBI website under the Regulatory Reporting Tab.

भवदीय/ Yours sincerely

(निशा नम्बियार/ Nisha Nambiar)

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक/ Chief General Manager-In-Charge

Enclosure: As Above

संलग्नक: यथोक्त